DR (Acad)
8.7.15

27

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा–324005 (राज.)

प्रबन्ध मण्डल की 27वीं बैठक दिनांक 02 जुलाई, 2015

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध मण्डल की 27वीं बैठक दिनांक 02.07.2015 को अपरान्ह 12.15 बजे विश्वविद्यालय सभा–कक्ष में माननीय कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

प्रो. पी.के. दशोरा — अध्यक्ष
माननीय कुलपति,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2. प्रो. राजीव जैन — सदस्य
कुलपति द्वारा नामित निर्देशित संकायाध्यक्ष

3. श्री मनीराम खटीक — सदस्य
कुलपति द्वारा नामित निर्देशित संकायाध्यक्ष

4. प्रो० एन.के. जैमन — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य

5. प्रो० आशुरानी — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य

6. श्रीमती मन्जु शर्मा — सदस्य
कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्

7. डॉ० जगत नारायण — सदस्य
कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्

8. डॉ० प्रेम जैन — सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित प्राचार्य

9.	श्री हीरालाल नागर माननीय विधायक–सांगोद राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित विधायक	सदस्य
10.	श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल माननीया विधायक–रामगंजमण्डी राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित विधायक	सदस्य
11.	प्रो. वी. के. श्रीमाली राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य
12.	डॉ. वी. के. वशिष्ठ राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य
13.	श्रीमती पूनम मेहता वित्त नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	विशेष आमंत्रित
14.	अम्बिका दत्त, आर.ए.एस. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	सदस्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव–वित्त विभाग अथवा उनके नाम निर्देशित, राजस्थान सरकार; प्रमुख शासन सचिव–उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार तथा आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें।

प्रारम्भ में माननीय कुलपति प्रो. पी.के. दशोरा तथा कुलसचिव अम्बिका दत्त चतुर्वेदी ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। सभी उपस्थित सदस्यों ने कुलपति महोदय तथा कुलसचिव दोनों का प्रबन्ध मण्डल में उनकी प्रथम उपस्थिति पर उनका स्वागत करते हुए अभिनन्दन किया तथा विश्वविद्यालय की गतिविधियों के सुचारु संचालन में सहयोग के लिए आश्वस्त किया।

सदस्य सचिव अम्बिका दत्त (कुलसचिव) ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की तथा इससे पूर्व कुलपति महोदय ने बैठक के विभिन्न चर्चा बिन्दु (Agenda) सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हो चुके हैं, यह सुनिश्चित किया। चर्चा बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गए–

Agenda Item No. 1	:	**To confirm the minutes of the meetings of Board of Management held on 30.06.2014 and 14.10.2014.**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक संख्या 25 दिनांक 30.06.2014 तथा बैठक संख्या 26 दिनांक 14.10.2014 के कार्यवाही विवरण का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।
Agenda Item No. 2	:	**To consider and approve the Action Taken Report of the resolutions of the meetings of the Board of Management held on 30.06.2014 and 14.10.2014.**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.06.2014 तथा 14.10.2014 के क्रियान्विति प्रतिवेदन को अवलोकनोपरांत पारित किया गया।
Agenda Item No. 3	:	**To consider and approve the minutes of the meeting of the Academic Council held on 16.05.2015.**
निर्णय	:	दिनांक 16.05.2014 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की 11वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकनोपरांत अनुमोदन किया गया।
Agenda Item No. 4	:	**To consider and approve the minutes of the meetings of the Finance Committee held on 10.04.2015 and 05.06.2015 regarding the Budget Estimates of the University for Financial Year 2015-16 and the Revised Estimates of Financial Year 2014-15.**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा दिनांक 10.04.2015 तथा दिनांक 05.06.2015 को विश्वविद्यालय के वित्तीय सत्र 2015–16 के बजट अनुमान तथा वित्तीय सत्र 2014–15 के संशोधित बजट अनुमान पर विस्तृत चर्चा करते हुए निम्नलिखित के साथ पारित किया गया– (अ) : माननीय सदस्य प्रो. विजय श्रीमाली ने दिनांक 10.04.2014 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 10वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दू संख्या–02 "व्यय मद में प्रशासनिक खर्चो में V.C. Discretionary मद (कुलपति

विवेकाधिकार मद) को हटाये जाने का निर्णय किया" से असहमति बतलाते हुये इसे विलोपित करने का प्रस्ताव रखा जिसे चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से विलोपित करने का निर्णय लिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि कुलपति के विशेषाधिकार को प्रस्तावित प्रशासनिक मद के खर्चों में रखा जाना आवश्यक है।

माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर तथा माननीय सदस्य प्रो. विजय श्रीमाली ने विश्वविद्यालय की वित्त समिति का गठन विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुरूप करते हुए उसमें राज्य सरकार का एक नाम निर्देशित रखने की आवश्यकता बताई तथा निर्णय लिया गया कि इस हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखा जाए।

चर्चा में माननीय सदस्य डॉ. विजय वशिष्ठ तथा माननीय सदस्य प्रो. विजय श्रीमाली ने प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव को उक्त समिति में (वित्त समिति में) आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा जाना चाहिये जिससे विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिशासी अधिकारी होने के नाते उन्हें निर्णयों की जानकारी रहे। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया।

माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर तथा माननीय सदस्य डॉ. विजय वशिष्ठ ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बजट में कुछ टंकण त्रुटियों तथा अन्य तकनीकी त्रुटियों को इंगित किया जिन्हें चर्चा के उपरान्त संशोधित करने का निर्णय किया गया तथा वित्त नियंत्रक से अपेक्षा की गई कि इन त्रुटियों में सुधार करते हुए भविष्य में बजट तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरतें, जिसका सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित व संशोधित बजट को वित्त समिति के सदस्यों को पर्याप्त समय पूर्व भेजा जाए जिससे वित्त समिति के सदस्य उसका समुचित अध्ययन करके अपने सुझाव दे सकें।

डॉ. विजय वशिष्ठ ने प्रस्ताव रखा कि प्रतिवर्ष प्रबन्ध मण्डल की एक बैठक केवल बजट प्रस्तावों पर विचार–विमर्श करने हेतु आयोजित की जानी चाहिए जिससे बजट पर और अधिक गहराई से प्रबन्ध मण्डल द्वारा चिंतन किया जा सके। सभी ने प्रस्ताव का सर्वसम्मति से

अनुमोदन किया।

विश्वविद्यालय में पेंशन फण्ड को अलग से संधारित करते हुए उसे बजट में अलग से दर्शाने का प्रस्ताव माननीय सदस्य प्रो. विजय श्रीमाली एवं माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर ने रखा। सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में पेंशन फण्ड को अलग से सृजित करते हुए उसको सक्षमता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया।

(ब) : दिनांक 05.06.2015 को आयोजित वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दू संख्या–2(1) "शिक्षक कल्याण कोष, स्टाफ कल्याण कोष, टीएचडीएफ फण्ड में संकलित राशि का भी बजट में अंकन किया जाए" पर सभी माननीय सदस्यों द्वारा असहमति व्यक्त की गई तथा निर्णय लिया गया कि ये सारे कोष शिक्षकों/स्टाफ के वेतन अथवा अन्य मानदेय से कटौती करके विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र किये जाते है अतः इनका समुचित संधारण एवं संचालन करने के लिए विशिष्ट समितियां बनाकर उनके नियम बनने चाहिए। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया।

परीक्षा संबंधी कार्यों को सम्पादित करने हेतु देय मानदेय की दरों में वृद्धि संबंधी निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त **(अ) तथा (ब)** में निर्दिष्ट निर्णयों/संशोधनों के साथ दिनांक 10.04.2015 तथा दिनांक 05.06.2015 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

Agenda Item No. 5 : **To consider and approve the minutes of the meeting of the Building Committee held on 27.08.2014 and 16.03.2015.**

निर्णय : दिनांक 27.08.2014 तथा दिनांक 16.03.2015 को आयोजित भवन समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरणों का निम्न सुझावों के साथ अनुमोदन किया गया–

(1) विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन तथा परीक्षा भवन के सामने बाउण्ड्री वॉल से सटे हुए गैराज (**Garage**) बनाने

के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इन भवनों के पीछे की तरफ गैराज (**Garage**) बनाने का निर्णय लिया गया जिससे विश्वविद्यालय भवन के Front Elevation की सुन्दरता बनी रहे।

(2) छात्रावास निर्माण करते समय सभी कमरे एकल रहन (Single Seated) बनवाये जायें। साथ ही शोधार्थियों एवं अन्य आकस्मिक आवासार्थियों के लिए एक ट्रान्जिट हॉस्टल जिसमें रसोई घर, स्नानघर इत्यादि सुविधाओंयुक्त कक्षों का निर्माण करवाया जाये।

(3) विश्वविद्यालय परिसर में उचित स्थान चिह्नित कर उनमें बगीची विकसित की जाये।

Agenda Item No. 6 : **To consider and approve the minutes of the meeting of the Board of Inspection (B.O.I.) held on 10.07.2014, 18.09.2014, 17.11.2014, 22.05.2015 and 18.06.2015.**

निर्णय : दिनांक 10.07.2014, 18.09.2014, 17.11.2014, 22.05.2015 तथा 18.06.2015 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठकों के कार्यवाही विवरणों को अनुमोदित किया गया। हाल ही में सम्पन्न बी.एड. व एम.एड. महाविद्यालयों के निरीक्षण से संबंधित कार्यों में गोपनीयता रखने हेतु किए गए विशेष प्रयत्नों के लिए माननीय सदस्य डॉ. वी.के. वशिष्ठ ने माननीय कुलपति महोदय को साधुवाद दिया जिसका सभी माननीय सदस्यों द्वारा हार्दिक समर्थन किया गया।

Agenda Item No. 7 : **To report the orders of Vice-Chancellor regarding extension in the contractual period w.e.f. 01.04.2015 to 30.06.2015 and to consider the extension in the contractual services for further six months w.e.f. 01.07.2015 of 48 persons engaged by the University for smooth functioning of the University.**

निर्णय : संविदा पर रखे गये कार्मिकों की अनुबंध अवधि में अभिवृद्धि दिनांक 01.04.2015 से 30.06.2015 तक करने संबंधी आदेशों का अनुमोदन किया गया। साथ ही दिनांक 01.07.2015 से अग्रिम छः महीनों अथवा चयनित अभ्यर्थियों के पद ग्रहण करने, जो भी पूर्व हो, तक संविदा पर रखे गए 48 व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित शर्तों पर अनुबंध में

अभिवृद्धि की जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

माननीय सदस्य श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने प्रस्ताव रखा कि संविदा पर रखे गए कार्मिकों के पी.एफ. तथा ई.एस. आई. की कटौती की जाए। इस संबंध में विधिक राय लेकर क्रियान्विति करने का सर्वसम्मति से निर्णय किया गया।

माननीय सदस्य विधायक श्री हीरालाल नागर एवं माननीय सदस्य विधायक श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने संविदा पर रखे हुए कार्मिकों के वेतन में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव रखा। इस पर कुलसचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार इन कार्मिकों को प्रारम्भिक वेतन पर रखा गया जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। वर्तमान प्रावधानों में इससे अधिक भुगतान करना संभव नहीं है।

माननीय सदस्यों ने इन कार्मिकों की स्थाई नियुक्ति की संभावनाओं को जानना चाहा। कुलसचिव ने अवगत करवाया कि इन कार्मिकों की स्थाई नियुक्ति स्वीकृत पदों पर विधिक प्रक्रिया के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों से ही संभव है। इस प्रकार के प्रकरण में विश्वविद्यालय में कार्य के अनुभव का लाभ देने का प्रावधान रखा जा सकता है।

Agenda Item No. 8 : **To consider and decide the matter of waiving of penalty which was imposed on Balaji Girls College, Sawaimadhopur on account of excess admissions.**

निर्णय : माननीय सदस्यों द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 22.05.2014 में लिए गए निर्णय को यथावत रखा गया तथा शास्ति की शेष राशि को महाविद्यालय द्वारा शीघ्र जमा करवाए जाने के पश्चात् ही किसी भी प्रकार की सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

Agenda Item No. 9 : **To consider and approve the orders of State Government regarding probation of one year of Associate Professors and Professors in the University for direct recruitment.**

निर्णय : माननीय सदस्यों द्वारा परिवीक्षा काल में शिथिलन के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.09.2014 से प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन किया गया। सीधी भर्ती से संबंधित नियमों को भी जारी अधिसूचनाओं के अनुसार संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया।

Agenda Item No. 10 : To nominate three Physical Instructors / Directors from the affiliated colleges on the Sports Board of the University.

निर्णय : विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड में सम्बद्ध महाविद्यालयों से तीन शारीरिक अनुदेशकों का मनोनयन करने हेतु कुलसचिव ने विश्वविद्यालय के क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सभी छः शारीरिक अनुदेशकों के नाम तथा उनके पदस्थापन स्थान के नाम प्रबन्ध मण्डल के सामने रखें। उनमें से निम्न तीन शारीरिक अनुदेशकों को विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड में तीन वर्ष अथवा उनकी सेवानिवृति, जो भी पहले हो, के लिए सर्वसम्मति से नामित किया गया–

1) श्री अमरसिंह यादव, राजकीय महाविद्यालय, कोटा
2) श्री एस.के. तिवारी, राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़
3) श्री विवेक भारद्वाज, राजकीय महाविद्यालय, सांगोद

Agenda Item No. 11 : To report the order of Hon'ble Vice-Chancellor regarding the increase in sitting charges which are being paid to the members (other than University employee) of various academic bodies like BOS, COC, ESC etc. for attending the meetings.

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा पारित कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.5 ( )अकाद./2015/6698–6714 दिनांक 23.06.2015 जिसमें BOS, COC, ESC इत्यादि की बैठकों में आमंत्रित बाह्य सदस्यों (विश्वविद्यालय में पदस्थापित सदस्यों के अतिरिक्त) के मानदेय में वृद्धि संबंधी आदेश को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

Agenda Item No. 12.1 : To approve the proposals regarding the creation of new teaching departments, U.G. college and posts required for smooth functioning of the University and its departments.

निर्णय : सदन की अनुमति से कुलसचिव ने सदन को अवगत करवाया कि इस वर्ष राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कोटा में आयोजित होना प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में संभागीय आयुक्त महोदय ने पत्र द्वारा राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली घोषणाओं की सूची में विश्वविद्यालय से संबंधित यदि कोई घोषणा की जानी है तो उसके संबंध में जानकारी मांगी है। उन्होंने प्रबन्ध मण्डल से निवेदन किया कि विश्वविद्यालय को स्थापित हुए लगभग 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, विश्वविद्यालय अपना स्वरूप प्राप्त करे इस हेतु स्नातक स्तर के अध्ययन हेतु संगठक महाविद्यालय की आवश्यकता है। इसी प्रकार एक विधि महाविद्यालय की भी आवश्यकता है। स्नातकोत्तर अध्ययन में भाषा विभाग में संस्कृत एवं अंग्रेजी, विज्ञान संकाय में गणित एवं वन्य जीव विज्ञान तथा एक शारीरिक शिक्षा विभाग नये खोले जाने प्रस्तावित हैं, इन विभागों के समुचित संचालन के लिए कुल 124 शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर पदों के सृजन की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही हिन्दी विभाग जिसे राज्य सरकार ने स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रम के रूप में लागू करने की अनुमति दी है उसे राज्य सरकार की योजना/गैर–योजना मद में सृजित करने के लिए विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को निवेदन किया है। सभी माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय के प्रस्तावों का एकमत से अनुमोदन किया तथा निर्णय लिया गया कि शीघ्र संभागीय आयुक्त महोदय को उक्त आशय का पत्र प्रेषित कर राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए ये घोषणायें करवायी जायें।

चर्चा को विस्तार देते हुए माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा कौशल विकास के कुछ पाठ्यक्रम, जो कोटा संभाग के लिए उपयुक्त हो एवं जिनसे रोजगार सृजन हो सके, ऐसे पाठ्यक्रम संचालित किये जाने चाहिये। श्रीमती चन्द्राकांता मेघवाल ने बताया कि जिला परिषद एवं राज्य सरकार द्वारा इस तरह के कुछ पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को चिह्नित किया गया है। वहां से जानकारी प्राप्त कर विश्वविद्यालय इस दिशा में संभावनाएं तलाश करें। सभी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए सहमति प्रदान की।

Agenda Item No. 13 : **Any other matter with the permission of the Chair.**

निर्णय : (1) बिन्दु संख्या 1 पर चर्चा करते समय माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर ने उनके द्वारा दिनांक 11.06.2014 के पत्र का संदर्भ देते हुए जानना चाहा कि दिनांक 30.06.2014 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उनकी उपस्थिति नहीं हो सकी तथा ऐसी स्थिति में क्या उनके पत्र दिनांक 11.06.2014 के संबंध में लिए गये निर्णय को उस पत्र पर चर्चा के बाद में अंकित किया गया या चर्चा के बिना ही अंकित किया गया? इस पर तत्कालीन सदस्यों ने बताया कि माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर के पत्र पर विस्तृत चर्चा हुई थी एवं इसकी पुष्टि में विश्वविद्यालय द्वारा पत्रावली प्रस्तुत कर पत्रावली में पत्र पर अंकित तत्कालीन कुलसचिव द्वारा किये गए अंकन का अवलोकन करवाया गया। माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर ने व्यक्त किया कि दिनांक 30.06.2014 की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उनके द्वारा प्रेषित पत्र का निष्कर्ष सही नहीं निकाला गया है, भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि ना हो। चूंकि इस विषय में अभी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, अतः चर्चा पूर्ण हुई।

(2) माननीय सदस्य श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों पर आयोजित साक्षात्कार के परिणाम जो कि लिफाफों में बंद है, उन्हें घोषित करने की आवश्यकता बतायी तथा जानना चाहा कि परिणाम घोषित क्यों नहीं किये जा रहे हैं? इस पर कुलसचिव महोदय ने अवगत करवाया कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.13(43)शिक्षा–4/2015 दिनांक 19.03.2015 द्वारा उन लिफाफों के खोलने तथा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने पर रोक लगा रखी है। इस रोक के कारण विश्वविद्यालय उन लिफाफों को खोलने एवं आगे की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से रोक को हटाकर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति मांगी है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्देशों की प्रतीक्षा है। सदन में चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि माननीय सदस्य और विश्वविद्यालय प्रशासन व्यक्तिगत तौर पर पुनः राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करें। इसमें माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल भी अपने स्तर पर राज्य सरकार से त्वरित सकारात्मक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें।

माननीय सदस्य डॉ. विजय वशिष्ठ ने प्रश्न उठाया कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए किस वर्ग के कार्मिकों के लिफाफे प्रबन्ध मण्डल में खोले जाने आवश्यक हैं तथा किस वर्ग के लिफाफे विश्वविद्यालय अपने स्तर पर खोल कर प्रबन्ध मण्डल से पुष्टि करवाता है? इस संबंध में माननीय सदस्य प्रो. विजय श्रीमाली ने बताया कि शैक्षणिक तथा अधिकारी वर्ग पर नियुक्ति के लिफाफे अनिवार्य रूप से प्रबन्ध मण्डल में ही खोले जाते हैं। यह भी बताया गया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलपति को अधिकृत किये जाने के उपरांत विश्वविद्यालय अपने स्तर पर लिफाफे खोल कर नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में निर्णय को ला सकते हैं।

सभी माननीय सदस्यों ने एकमत से विश्वविद्यालय में लम्बित लिफाफे खोलने की प्रक्रिया राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद अपने स्तर पर सम्पन्न करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

(3) माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर ने उपकुलसचिव श्री प्रवीण गोयल के निलम्बन के प्रकरण पर सभी का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें पुनः पदस्थापित करने में आ रही अड़चन को जानना चाहा। इस पर कुलसचिव ने अवगत कराया कि श्री प्रवीण गोयल के विरूद्ध माननीय न्यायालय में वाद चल रहा है। उस वाद के चलते उनको बहाल करने के संबंध में विधिक राय ली गई जो उन्हें बहाल किये जाने के पक्ष में नहीं थी। ऐसी स्थिति में श्री प्रवीण गोयल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लिखा जा चुका है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है। माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर ने विधिक राय क्या आयी है, यह जानना चाहा। इस पर विश्वविद्यालय की पत्रावली से विधिक राय माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर को अवलोकित करवायी गई। श्री नागर ने प्रस्ताव रखा कि एक बार और विधिक राय लेनी चाहिए, जिस पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

(4) कुलसचिव ने स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति के निर्माण एवं उसकी विश्वविद्यालय परिसर में स्थापना के बहुलम्बित प्रकरण में की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करवाते हुए बतलाया कि विवेकानन्द स्मारक निर्माण समिति द्वारा

बूंदी के निकट बड़ा नया गांव में जय हनुमान कला उद्योग पर एक लाख चालीस हजार रूपये अग्रिम देकर विवेकानन्द की साढ़े दस फीट ऊंची लाल पत्थर की मूर्ति के निर्माण का आदेश दिया जा चुका है। विश्वविद्यालय को एक लाख पचपन हजार रूपये का भुगतान और कर मूर्ति की स्थापना विश्वविद्यालय परिसर में उचित स्थान पर करनी है। सभी माननीय सदस्यों ने इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करते हुए स्थान चिह्नित कर शीघ्र मूर्ति स्थापना के निर्देश दिये। माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर एवं अन्य सदस्यों ने विश्वविद्यालय का परिभ्रमण कर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने पहले चौराहे को मूर्ति स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित किया। उन्होंने आर.एस.आर.डी.सी., जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है, मूर्ति स्थापना हेतु आधार संरचना तैयार करवाने का सुझाव दिया जिसे स्थान का अवलोकन करने वाले सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया (स्थान अवलोकन की कार्यवाही बैठक समाप्ति के पश्चात् की गई)।

(5) कुलसचिव ने परीक्षा के विशेष कार्यों में संलग्न जनशक्ति का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव जो समुचित जानकारी के अभाव में वित्त समिति में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, उसके विषय में अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर उनमें समुचित अभिवृद्धि का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। मूल्यांकन कार्यों में संलग्न कॉर्डिनेटर्स, कॉर्डिनेटर्स के सहयोगी, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उत्तरपुस्तिकाओं के बंडल उठाने का मानदेय, टेक्सी किराया इत्यादि में अभिवृद्धि पर गहराई से चर्चा की गई जिसे चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

(6) बैठक के प्रारम्भ में माननीय सदस्य डॉ. जगत नारायण ने विश्वविद्यालय की प्रमुख बैठकों के चर्चा बिन्दु, कार्यवाही विवरण इत्यादि तैयार करने में यथासंभव हिन्दी भाषा का उपयोग करने का आग्रह दोहराया। इस पर सभी सदस्यों ने एकमत से यथासंभव हिन्दी भाषा का प्रोत्साहन देने तथा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने पर सहमति व्यक्त की।

(7) इसी प्रकार बैठक के प्रारम्भ में माननीय सदस्य श्री हीरालाल नागर ने सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही की

विडियोग्राफी/ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाये जाने की आवश्यकता बताई। इस पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि यथासंभव प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठकों की सीसीटीवी कैमरे / विडियोग्राफी / ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाकर अगली बैठक में कार्यवृत्त (Minutes) पुष्ट होने तक सुरक्षित रखा जाये।

अंत में कुलपति महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

(अम्बिका दत्त)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव